

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: आदेश ::—

देश में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश दिनांक : 01.11.2020 के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में दिनांक : 16.11.2020 तक विद्यार्थियों हेतु नियमित कक्षा-कक्षीय गतिविधियों को बंद रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। लेकिन विभाग में इस दौरान शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहते हुए ऑनलाईन स्मार्टल प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से शिक्षण करवा रहे हैं।

उपर्युक्त क्रम में शासन के निर्देश क्रमांक : प.32(1) शिक्षा-1/2000 जयपुर, दिनांक : 03.11.2020 की पालना में राज्य के समस्त विद्यालयों में दिनांक : 07.11.2020 से 16.11.2020 तक एतद् द्वारा मध्यावधि अवकाश घोषित किया जाता है।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्तानुसार पालना की सुनिश्चितता की जावे।


(सौरम स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर


www.rajteachers.com

दिनांक : 03.11.2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/22418/शिविरा पंचांग/2020-21/

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
10. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजमेर।
11. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा ।
15. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
16. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर ।
17. वरिष्ठ संपादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
18. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
20. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 32(1)शिक्षा-1/2000

जयपुर, दिनांक : 03/11/2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :- मध्यावधि अवकाश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि देश में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2020 के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में दिनांक 16.11.2020 तक विद्यार्थियों हेतु नियमित कक्षा-कक्षीय गतिविधियों को बंद रखने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। लेकिन विभाग में इस दौरान शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहते हुए ऑनलाईन, स्माईल प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से शिक्षण करवा रहे हैं।

अतः राज्य के समस्त विद्यालयों में दिनांक 07.11.2020 से 16.11.2020 तक मध्यावधि अवकाश किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


www.rajteachers.com

भवदीय,

(मुकेश कुमार मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)।
5. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
8. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर।
10. शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


03/11/2020
(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा